

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र/ Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064

1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2019/

4913

दिसंबर 03, 2019

vy

सूचना / Notice

विषय : हियरिंग एड के खो जाने की स्थिति में पांच वर्षों बाद हियरिंग एड की कीमत की दूसरी बार प्रतिपूर्ति के संबंध में।

Sub : Reimbursement of cost of hearing aid second time after 5 years in the event of loss of hearing aid-reg.

उपरोक्त विषय पर पऊवि के दिनांक 22.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/2019-IR&W/14360 की एक प्रति संलग्न है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/2/2019-IR&W/14360 dtd.22.11.2019 on the above subject, is enclosed.

इस केंद्र के सभी कार्मिक उक्त कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सूचनार्थ हेतु कृपया नोट करें।

All the employees of this Centre may please keep note of the content of the Office Memorandum for their information.

आज्ञा कर्ता पत्रा
(ए. के. पात्रा / A. K. Pattra)

सहायक कार्मिक अधिकारी/Asst. Personnel Officer

4.12.2019

सभी सूचना पट्ट / All Notice Boards :



(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476

& 2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC
ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं. No. 7/2/2019/IR&W/14360

नवंबर November २२, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

Umesh
22.11.19

विषय: हियरिंग एड के खो जाने की स्थिति में पांच वर्षों बाद हियरिंग एड की कीमत की दूसरी बार प्रतिपूर्ति के संबंध में।

Subject: Reimbursement of cost of hearing aid second time after 5 years in the event of loss of hearing aid – reg.

इस विभाग के दिनांक 18.5.2009 के का.ज्ञा.सं. 7/13/2003/ IR&W/109 के साथ पठित सीएचएसएस के नियम 8.3 के अनुसार सीएचएसएस के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को रु. 30,000 (बाइनॉरल हियरिंग एड हेतु रु. 60,000) (मोल्ड कीमत सहित) तक की कीमत के हियरिंग एड की कीमत की प्रतिपूर्ति की जा रही है। चूंकि हियरिंग एड आम तौर पर 5 वर्षों के लिए काम करता है, अतः प्रशासन प्राधिकारी द्वारा गठित उप-समिति/ विभागीय अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञों द्वारा की गई संस्तुतियों/ कंडमनेशन सर्टिफिकेट पर अंतिम बार जारी की गई तिथि से पांच वर्षों बाद इसको बदलने की अनुमति है। अतः हियरिंग एड के बदलने के लिए पुराने हियरिंग एड को लौटाना जरूरी है ताकि आवश्यक कंडमनेशन सर्टिफिकेट जारी किया जा सके।

As per Rule 8.3 of CHSS read with Department's OM No. 7/13/2003 IR&W/109 dated 18.5.2009 the cost of artificial hearing aid is being reimbursed beneficiaries registered under CHSS subject to a cost ceiling of Rs.30,000/- (Rs.60,000/- for binaural hearing aid) (including cost of mould). As the hearing aid generally lasts for 5 years, the replacement is being allowed after a period of 5 years from the date of last issue on the recommendations/issue of condemnation certificate by ENT specialists of Departmental Hospital/Sub-Committee constituted by the Administering Authority. Thus for replacement of the hearing aid, it is necessary to surrender the old hearing aid to issue the necessary condemnation certificate.

2. सीएचएसएस के तहत प्रदान किए गए हियरिंग एड के खो जाने और कंडमनेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना संभव न होने की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति के संदर्भ में विचार करने हेतु विभाग को पत्र प्राप्त हुए हैं।


Reference has been received in the Department to consider reimbursement for the second time when the hearing aid already provided under CHSS has been lost and it is not possible to obtain condemnation certificate.

3. विभाग में गहन विचार-विमर्श के बाद और सीएचएसएस जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम बार जारी की गई तिथि से 5 वर्षों की अवधि के बाद, सीएचएसएस के तहत दिए गए पुराने हियरिंग एड के खो जाने पर भी दूसरी बार प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इन स्थितियों में यह निर्णय लिया गया है कि पुराने हियरिंग एड के खोने की पेनल्टी हेतु रु. 30,000 के 10% को घटाने के बाद केवल रु. 27,000 की ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।

After careful consideration in the Department and also based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has been decided to allow reimbursement second time, after a period of 5 years from the date of last issue, even in circumstances where the old hearing aid issued earlier under CHSS is reported to be lost. However, in such cases it has been decided to reimburse only Rs.27,000/- after deducting 10% of Rs.30,000/- towards penalty for loss of old hearing aid.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of Competent Authority.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सेवा में To

सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारी

All CHSS Administering Authorities